

झारखण्ड सरकार  
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 16.01.2017

संख्या-1/पी0-101/2014 का० - 446 / श्री के० श्रीनिवासन, भा.प्र.से. (झा:2005) को उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पद से स्थानान्तरित किया जाता है। श्री के० श्रीनिवासन, भा.प्र.से. (झा:2005) कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 का० - 447 / उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पर्षद्, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री विनोद कुमार, भा.प्र.से. (झा:2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक लोहरदगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 का० - 448 / उपायुक्त, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री भुवनेश प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (झा:2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गोड्डा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी0-101/2014 का० - 449 / संयुक्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. (झा:2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सरायकेला-खरसावाँ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

2. श्री गोरख अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर (आयडा) के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 17.01.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(अखौरी शशांक सिन्हा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-101/2014 का० - 449 / राँची, दिनांक 16.01.2017

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।